

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHIORIGINAL APPLICATION NO. 84 OF 2025IN THE MATTER OF:

AKHILESH KUMAR.

..... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UP &amp; ORS.

..... RESPONDENTS


INDEX

N.D.O.H.: 05.08.2025

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply/ Response on behalf of Respondent No.7, Uttar Pradesh Pollution Control Board.	
2	<u>ANNEXURE-R7/1</u> True copy of the Inspection Report	

NEW DELHI

DATED: 04.08.2025

  
(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)

Counsel for U.P. Pollution Control Board

138, New Lawyers Chamber,

Supreme Court of India,

New Delhi-110001

(M.) 9810252518

Email: [pradeepmisra@yahoo.com](mailto:pradeepmisra@yahoo.com)



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 84 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Akhilesh Kumar

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

...Respondents

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-7, UTTAR  
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Ramesh Kumar Singh, S/o Sri Bal Ram Singh, aged about 44 years, presently posted as the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB) at Sonbhadra, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That by mean of the present application the applicant has made the following prayer in the above noted Original Application:

“(a) Quash and set aside the decision of the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttar Pradesh dated 17.12.2024, whereby the committee of Mining Officer, Sonbhadra,

↓



*P.N. Sonery*  
P.N. Sonery  
Notary Sonbhadra




representative of Sonbhadra (not below of the rank of ADM) and the soil scientist belonging to the agricultural university has been constituted to address the question of mineral availability at Arazi No. 15 Cha, Khand No. 02, Village Bhagwa, Tehsil-Obra, District Sonbhadra, Uttar Pradesh.

(b) Issue appropriate directions to Union Environment Ministry to establish a clear, binding and proper mechanism to reconcile the disputes between State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) and State Expert Appraisal Committee (SEAC) in the preparation and appraisal of District Survey Reports (DSRs).

(c) Direct that the evaluation of the area in question be conducted by an independent and unbiased expert committee, preferably comprising professionals from the Indian Institute of Technology, Roorkee, and the Indian Bureau of Mines, with members having no prior involvement in the preparation or approval of the District Survey Report (DSR).

(d) Direct the Respondents to ensure compliance with the Hon'ble Supreme Court's order dated 10.11.2021, Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016, and the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020, particularly with respect to the use of



scientific and latest modern technologies and methods during the preparation of DSR.

(e) Pass such other and further orders as this Hon'ble Tribunal may deem just and proper in the facts and circumstances of the case to protect the environment and uphold the principles of natural justice.”

3. That the above O.A. came up for hearing on 30.05.2025 when this Hon'ble Tribunal has directed the Respondents to file its response/reply.
4. That the officials of UPPCB have conducted inspection of the site in question on 01.08.2025 wherein it was found that no mining activities are in operation at the site of project at Aarazi No. 15Cha (Khand-2), Village Bhagwa, Tehsil Obra, District Sonbhadra. True copy of inspection report is being enclosed herewith and marked as **Annexure R-7/1**.




That during the course of inspection, no sand mining activity was found at the site of project in question at Arazi No.-15 Cha (Khand-2), Village-Bhagwa, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra in presence of the representative of the project. The observation made by the inspection committee are as under:

2

- The District Magistrate, Sonbhadra vide its letter no.-4026/Mineral/2023 dated 16.02.2023 has issued a Letter of Intent (LoI) in favour of the project proponent in question regarding mining at Arazi No.-15 Cha (Khand-2), Village-Bhagwa, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra.
- It is informed by the representative of the project in question that process of obtaining Environment Clearance for the said mining project is under process.
- As per the officer record the Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) has not been issued by UPPCB in favour of the project proponent under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

6. That as there are no allegations against the replying Respondent nor any relief has been prayed against it, hence the present short affidavit is being filed. The replying Respondent craves leave of this Hon'ble Tribunal to file any further or additional affidavit, if so required.



That the above facts are being placed on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board before this Hon'ble Tribunal for its kind perusal and consideration.

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
**DEPONENT**


**VERIFICATION:**

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 02<sup>nd</sup> DAY OF AUGUST, 2025 AT

Robertson, Subbasha

20443



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**DEPONENT**

*[Handwritten signature]*  
Smt. ...  
Who ...  
has been identified by Shri ...  
Appeared before ... at ... a.m./P.m.  
I certified that ... admits the truthness  
of facts mentioned in ... declaration. And I  
administered oath to ...

(P.N. SONEY)  
Adv. NOTARY  
ROBERTSGAN, SONEBH...

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-84/2025 (आई0ए0 नं0-142/2025) अखिलेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2025 के अनुपालन में मेसर्स रूद्र माइनिंग एण्ड कम्पनी, आराजी संख्या-15च (खण्ड-2), क्षेत्रफल-12.146 हेक्टेयर, ग्राम-भगवा, तहसील-ओबरा, जनपद-सोनभद्र का निरीक्षण आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल अप्लीकेशन ओ0ए0 संख्या-84/2025 (आई0ए0 नं0-142/2025) अखिलेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2025 के अनुपालन में इस कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा उक्त प्रकरण में सम्बन्धित बालू खनन पट्टा मेसर्स रूद्र माइनिंग एण्ड कम्पनी, आराजी संख्या-15च (खण्ड-2), क्षेत्रफल-12.146 हेक्टेयर, ग्राम-भगवा, तहसील-ओबरा, जनपद-सोनभद्र का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-01.08.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय माइनिंग प्रतिनिधि के रूप में श्री धीरज सिंह (पार्टनर) उपस्थित मिले। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों, उपस्थित खनन परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण के समय उक्त संदर्भित बालू खनन परियोजना, आराजी संख्या-15च (खण्ड-2) ग्राम-भगवा, तहसील-ओबरा, जनपद-सोनभद्र पर कोई खनन गतिविधि नहीं पायी गयी।
2. निरीक्षण के समय उक्त खनन परियोजना के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में सम्बन्धित खनन परियोजना मेसर्स रूद्र माइनिंग एण्ड कम्पनी (पता ग्राम-देवगढ़, पोस्ट-शिवद्वार, घोरावल द्वारा-श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह निवासी-देवगढ़, शिवद्वार, पोस्ट-घोरावल, जनपद-सोनभद्र) को आराजी संख्या-15च (खण्ड-2,) क्षेत्र रकबा-12.146 हेक्टेयर, ग्राम-भगवा, तहसील-ओबरा, जनपद-सोनभद्र पर खनन सम्बन्धी कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्रांक-4026/खनिज/2023 दिनांक-16.02.2023 द्वारा एल0ओ0आई0 (Letter of Intent) जारी किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
3. निरीक्षण के समय उक्त खनन परियोजना के लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।
4. उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खनन परियोजना को इन्वायमेन्टल क्लीयरेंस प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त संदर्भित बालू खनन परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से उद्योग के स्थापनार्थ पूर्व सी0टी0ई0 एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त नहीं किया गया है।
6. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा खनन सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये अभिलेख दिनांक-26.03.2025 की छायाप्रति संलग्न है।
7. कार्यालय अभिलेखानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-109/2024 आकाश दुबे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक-29.01.2024 के अनुपालन में संयुक्त समिति की आख्या दिनांक-02.01.2024 इस कार्यालय के पत्र संख्या-जी 0258/ओ0ए0 नं0-109/2024 दिनांक-15.03.2024 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल किया गया था (छायाप्रति संलग्न)।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Shubhan Singh  
01/08/25  
(शुभम सिंह)  
जे0आर0एफ0

Rajesh  
01/08/25  
(राजेश गौतम)  
प्रयोगशाला सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,



Site Photographs of M/s Rudra Mining & Company, Aarazi No.-15Cha (Khand No.2), Village-Bhagwa, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra inspected on dated 01.08.2025.

**कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।**

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 4026 / खनिज / 2023

दिनांक 16 / 02 / 2023

मे० रुद्र माइनिंग एण्ड कम्पनी  
पता ग्राम-देवगढ़ पोस्ट-शिवद्वार, घोरावल,  
द्वारा-श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह  
निवासी देवगढ़, शिवद्वार, पोस्ट-घोरावल,  
जनपद-सोनभद्र।  
मोबाइल नं०-9839626500  
ई०मेल आई०डी० [rudraminingsbr@gmail.com](mailto:rudraminingsbr@gmail.com)

**आशय-पत्र**

(Letter of Intent)

उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-23(1) के प्राविधानों के अधीन ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-2588/खनिज/विज्ञप्ति-मोरम/2022 दिनांक 05.11.2022 के द्वारा रिक्त घोषित करते हुये इच्छुक एवं अर्ह व्यक्तियों से निविदा सह बोली आमंत्रित की गयी थी। 2- उक्त क्रम में जनपद-सोनभद्र की तहसील-ओबरा के ग्राम-भगवां की आराजी संख्या-15च में स्थित क्षेत्र रकबा-12.146 हेक्टेयर (खण्ड-2) में उपलब्ध वार्षिक आंकलित मात्रा 2,18,628 घन मीटर मौरम के लिये सेवा प्रदाता एजेन्सी (एम०एस०टी०सी०) के माध्यम से आपने रु० 510/- (रुपये पांच सौ दस मात्र) प्रति घन मीटर की बोली विज्ञप्ति दिनांक 05.11.2022 में उल्लिखित शर्तों के अधीन दी है।


3- अतः आपके द्वारा दी गयी बोली सर्वोच्च एवं सन्तोषजनक पाये जाने पर निम्न शर्तों के अधीन एतद्वारा औपबन्धिक रूप से उसे स्वीकार की जाती है:-

**शर्तें:-**

1. विषयगत क्षेत्र में उपलब्ध वार्षिक आंकलित मात्रा 2,18,628 घन मीटर मौरम के लिये रु० 510/- (रुपये पांच सौ दस) मात्र प्रति घन मीटर की दर के अनुसार प्रथम वर्ष के लिये वार्षिक पट्टा धनराशि रु० 11,15,00,280/- (रुपये ग्यारह करोड़ पन्द्रह लाख दो सौ अस्सी) मात्र आगणित होती है, अतएव उक्त धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि रु० 2,78,75,070/- (रुपये दो करोड़ अठ्ठतर लाख पचहत्तर हजार सत्तर) मात्र प्रतिभूति के मद में एवं 20 प्रतिशत धनराशि रु० 2,23,00,056/- (रुपये दो करोड़ तेइस लाख छप्पन) मात्र प्रथम किश्त के मद में आपको इस आशय-पत्र के निर्गमन के दिनांक से, दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करने होंगे। बयाने के रूप में जमा धनराशि (अर्नेस्टमनी) प्रतिभूति के मद में जमा होने वाली धनराशि में समायोजित होगी। आशय-पत्र जारी करने के दो कार्य दिवसों के अन्दर नियत धनराशि इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है अन्यथा यदि आप धनराशि जमा करने में विफल रहते हैं, तब आपके द्वारा अर्नेस्टमनी के मद में जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में आप द्वारा कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तब वे विचारणीय नहीं होंगे।



2. मौरम का खनन पट्टा पाँच वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया जायेगा। प्रथम वर्ष हेतु देय धनराशि रु0 11,15,00,280/- (रूपये ग्यारह करोड़ पन्द्रह लाख दो सौ अस्सी) मात्र पर अनुवर्ती वर्षों में वार्षिक पट्टा धनराशि 10 प्रतिशत की उत्तोत्तर वृद्धि सहित देय होगी।
3. प्रथम वर्ष के लिये अवशेष पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में नियत समयानुसार राज्य सरकार को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान की जायेगी। देय किश्त की धनराशि जमा न करने की दशा में नियमावली, 2021 के नियम-59 के अनुसार देय धनराशि, नियमानुसार ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
4. आशय-पत्र (Letter of Intent) निर्गत होने के एक माह के अन्दर, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष खनन योजना, खान बन्दी योजना सहित अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियमावली, 2021 के नियम 60(1) के प्राविधानों के अर्न्तगत रु0 10,000/- प्रति दिन की दर से शारित देय होगी।
5. उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार पट्टेदार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं उनका अनुरक्षण करने हेतु सदैव उत्तरदायी होगा।
6. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल आरम्भ की जायेगी।
7. नियमावली, 2021 के नियम 35(4) के अर्न्तगत पर्यावरण की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित समयावधि में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का परियोजना प्रस्तावक द्वारा समाधान किया जाना अनिवार्य होगा। नियम 35(4) के उल्लंघन की दशा में जिलाधिकारी नियमावली, 2021 के नियम 60(7) के अर्न्तगत जारी आशय-पत्र (Letter of Intent) निरस्त कर सकेंगे।
8. नियमावली, 2021 के नियम-35 के अनुसार क्षेत्र में भूमि उद्धार एवं पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा कराये जाने हेतु पट्टेदार उत्तरदायी होगा।
9. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय पर निर्धारित कर व शुल्क यथा आयकर रायल्टी का 2.00% टी0सी0एस0(वर्तमान दर) एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास, सोनभद्र में उपादान के रूप में रायल्टी की 10% धनराशि तथा शक्तिनगर विशेष प्राधिकरण, सोनभद्र (साडा) सम्बन्धित उपकर आदि नियमानुसार पट्टेदार जमा करायेगे।
10. पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कॉर्डिनेट्स पट्टेदार अंकित करायेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व में अपने स्वयं के व्यय पर पट्टेदार ऐसे सीमा चिन्ह के खम्भे लगायेगा, जो पट्टा विलेख से संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने हेतु आवश्यक होंगे।




11. पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से यथाशीघ्र खनन संक्रियायें पट्टेदार आरम्भ करेंगे और तत्पश्चात जान-बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेंगे।
12. पट्टेदार नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व उनकी निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकॉर्डिंग के योग्य चार आईवीआर सीसीटीवी कैमरे लगवाये जाने सहित चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेंगे। पट्टेदार उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आरएम आईडी स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उप खनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई0-प्रपत्र एमएम-11 पर अंकित क्यूआर कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप से अनुरक्षित रखेगा। पट्टेदार उक्त सीसीटीवी कैमरे और आरएमआईडी स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिंग को कम से कम तीस दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकॉर्डिंग मांगे जाने पर रिकॉर्ड को उन्हें उपलब्ध करायेगा।
13. पट्टेदार प्रत्येक वाहन को ई0-एमएम-11 सही विवरण सहित जारी करेंगे। प्रत्येक वाहन को निर्गत ई0-एमएम-11 जनित क्यूआर कोड को चैक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए पट्टेदार आरएमआईडी स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली, 2021 के नियम-60 के अन्तर्गत वह शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
14. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक: 05.09.2018 के अनुपालन में पट्टेदार द्वारा खदान के निकासी स्थल पर तौल मशीन लगवा कर निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स युक्त सॉफ्टवेयर में इन्टीग्रेट कराया जायेगा। इन्टीग्रेट में स्थित तौल मशीन में निम्न Features का होना आवश्यक है:-
  - (1) The Weight bridge device should use the MQTT protocol to transmit data.
  - (2) The Weight bridge device should transmit data over the internet to IOT infrastructure in cloud.
15. खनन क्षेत्र में तीन मीटर की गहराई अथवा जल स्तर, में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें पट्टेदार द्वारा नहीं की जायेगी।
16. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन कार्य पट्टेदार द्वारा नहीं किया जायेगा।
17. नदी की जल धारा में संक्शन लिफ्टर मशीन द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
18. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ अभिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य पट्टेदार द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा।
19. यदि पट्टेदार द्वारा नियमों व खनन पट्टा के पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो पट्टेदार को अपना पक्ष रखने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।



20. उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-68 के अधीन भूमि के स्वामियों को प्रतिकर पाने का अधिकार होगा, जो भू-स्वामियों एवं पट्टेधारक के मध्य तय होगा।
21. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा आपराधिक प्रक्रिया योजित होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
22. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है, तो वह पट्टेदार को मान्य होगा।
23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु विधितः बाध्य होगा।


अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ से अनुमोदित खनन योजना एवं सक्षम प्राधिकारी से निर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे खनन पट्टे की स्वीकृति एवं खनन पट्टाविलेख के निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण हो सके।

  
जिलाधिकारी,  
सोनभद्र


पत्रांक व तददिनांक

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र०, क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र।
6. उप जिलाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र।
7. शाखा प्रबन्धक, एम०एस०टी०सी० लिमिटेड, लखनऊ।



  
जिलाधिकारी,  
सोनभद्र



प्रेषक,

निदेशक  
भूतल्य एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०  
"खनिज भवन", लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
सोनभद्र

पत्र सं० ०५ / एन० 228/2017 (खनन नीति)-डी०एस०आर०

दिनांक ०५ अप्रैल / 2021

विषय-जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संशोधन/संयोजन के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संशोधन/ संयोजन के सम्बन्ध में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में शासन द्वारा निम्नलिखित तालिका में दिए क्षेत्र के विवरण पर सम्यक विचारोपरान्त शासकीय पत्र सं० 614(1)/86-2021-01 (सा०)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

राज्य सरकार भूमि- उपखनिज- बालू/मौरम- 05 वर्ष

क्र० सं०	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम	खण्ड संख्या/ गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मी)	अनुमोदित DSR में कालम सं०-5 (गाटा सं०, खण्ड सं०) का विवरण पत्रांक सहित	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या/सूचना का पत्रांक	प्रभागीय वनाधिकारी की टिप्पणी	सिवाई विभाग की आख्या का दिनांक	क्षेत्र का जी०पी०एस० रीडिंग
1.	सोनभद्र	ओबरा	भगवा	2/15 च	12.146	पत्रांक 278/खनिज/202 0-21 दिनांक 25/01/2021	पत्रांक 2176/ओबरा/15 खनन दिनांक 16/02/2021 पत्रांक 2246/33-1मिर्जापुर दिनांक 29/01/2021	खनिज का अभिवहन मार्ग वर्तमान में विहायकित नहीं है अतः क्षेत्र का विज्ञापन/खनन संक्रिया आरम्भ किये जाने से पूर्व वन विभाग से अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।	आख्या दिनांक 25.01. 2021	A-24°31'56.81"N 82°59'15.58"E B- 24°32'2.93"N 82°59'27.23"E C- 24°31'53.16"N 82°59'34.37"E D- 24°31'48.53"N 82°59'23.81"E

कार्यालय/सर्वेक्षण (म.ए.)  
आवश्यक कार्यवाही करें  
खान अधिकारी  
सोनभद्र  
22/4/21

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
एस0ई0आई0ए0ए0,  
पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0,  
विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक 2818 / खनिज / 2025

दिनांक 26/03/2025

विषय:-

District Magistrate, Sonbhadra letter No. 2508/Khanij/DSR-Morrurum/2024725  
Dated 15-02-2025 regarding Gata No. 15cha, Khand No. 02, Village Bhagwa,  
Tehsil Obra, District Sonebhadra के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्या-1152/पर्या  
/सामान्य/2023 दिनांक 12.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मुख्य रूप  
से उल्लिखित है कि:-

“SEIAA has reviewed the report of the committee and observed that the geo-coordinates  
of the Lease area inspected have not been mentioned in the report. In light of the above, SEIAA  
is of the opinion that a letter should be sent to the District Magistrate, Sonebhadra, directing him  
to ensure that the geo-coordinates of the lease area are clearly mentioned in the report of the  
committee constituted vide its order dated 13.01.2025.

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय के पत्र संख्या-864/  
पर्या0/ सामान्य/2023 दिनांक 27.12.2024 के क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या-2301/  
खनिज/2025 दिनांक 13.01.2025 द्वारा जनपद-सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित  
ग्राम-भगवां के आराजी संख्या-15च (खण्ड-2) रकबा 12.146 हे० क्षेत्र को जिला सर्वेक्षण  
रिपोर्ट (डी०एस०आर०) में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में जाँच हेतु (1)- रजिस्टार, बनारस  
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा नामित, मृदा वैज्ञानिक (soil scientist), (2)- अपर  
जिलाधिकारी (वि०/रा०), सोनभद्र, (3) ज्येष्ठ खान अधिकारी, सोनभद्र की संयुक्त समिति का  
गठन किया गया, तत्क्रम में कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी के पत्र  
संख्या-कु.का./2024-25/398 दिनांक 27.01.2025 द्वारा प्रो० जनार्दन यादव, मृदा एवं कृषि  
रसायन विभाग को जाँच हेतु नामित किया गया है। गठित समिति द्वारा दिनांक 03.02.2025  
को क्षेत्र की संयुक्त जाँच की गयी।

उक्त खनन क्षेत्र का जी0पी0एस0 निम्नवत् है:-

Name of Pillars	Latitude	Longitude
A	24° 31'56.51"N	82° 59'15.58"E
B	24° 32'02.93"N	82° 59'27.23"E
C	24° 31'53.16"N	82° 59'34.37"E
D	24° 31'48.53"N	82° 59'23.81"E

संयुक्त जाँच आख्या के साथ लगे पिट्स का जी0पी0एस0 रीडिंग से युक्त फोटोग्राफस  
(छायाप्रति संलग्न) निम्नवत् है:-

1. पिट्स संख्या-1 Latitude: 24.532507310697458, Longitude : 82.98825200179802

.....2....

(2)

2. पिट्स संख्या-2 Latitude: 24.533327691405898, Longitude : 82.99061162496179
3. पिट्स संख्या-3 Latitude: 24.51961708, Longitude : 83.00640869
4. पिट्स संख्या-4 Latitude: 24.533327691405898, Longitude : 82.99061162496179
5. पिट्स संख्या-5 Latitude: 24.532507310697458, Longitude : 82.98825200179802

प्रो० जनार्दन यादव, मृदा एवं कृषि रसायन विभाग के पत्र सं०-Agrichem- /2024-25/L/ दिनांक 05.02.2025 द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लिखित है कि "जनपद के तहसील-ओबरा में स्थित ग्राम-भगवां के आराजी सं०- 15च (खण्ड-2) रकबा 12.146 हे० में बालू/मोरम का सर्वेक्षण दिनांक 03.02.2025 को किया गया। पूरे रकबे में लगभग 3 से 4 मीटर गहराई के 5 गड्ढे खोदवा कर बालू/मोरम का सेम्पल किया गया तथा इन सेम्पल का परीक्षण मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग में हाइड्रोमीटर विधि (हिन्गा एट०आल० 1980) से बालू सिल्ट और क्ले की प्रतिशत मात्रा ज्ञात किया गया। पांचो सेम्पल में बालू/मोरम 95.70 से 95.74 प्रतिशत पाया गया तथा औसत रूप से बालू/मोरम 95.72 प्रतिशत तथा सिल्ट क्ले 4.28 प्रतिशत था। इस डाटा से यह साबित होता है कि उक्त रकबा कृषि के लिये अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें बालू की मात्रा बहुत अधिक है।"

उपरोक्तानुसार आख्या प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,





(बद्री नाथ सिंह)  
जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त:-

प्रतिलिपि:- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।


①



Latitude: 24.532507310697458  
Longitude: 82.98825200179802  
03/02/2025 16:02:31

523

523





Latitude: 24.533327691405898  
 Longitude: 82.99061162496179  
 03/02/2025 16:05:38




5



Google

Latitude: 24.51981708  
Longitude: 83.00640889  
03/02/2025 16:13:27

525



Google



Latitude: 24.533327691405898  
Longitude: 82.99061162496179  
03/02/2025 16:05:52



Latitude: 24.532507310697458  
Longitude: 82.98825200179802  
03/02/2025 15:53:21

Google

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
एस0ई0आई0ए0ए0,  
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक- 2508/खनिज/डी0एस0आर0-मोरम/2024-25 दिनांक 15/02/2025

विषय :- District Survey Report, Sonbhadra (Sand/Morrum Mining) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-864/पर्या0/सामान्य/2023 दिनांक 27.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न SEIAA के मीटिंग सं0- 864 दिनांक 17.12.2024 के बिन्दु सं0-3. District Survey Report, Sonbhadra (Sand/Morrum Mining) के उप बिन्दु-6, जिसमें उल्लिखित है कि:-

“.....SEIAA noticed that the reports dated 15.03.2024, 05.07.2024 and 27.09.2024 do not address the question of mineral availability at the site. Hence SEIAA agreed to refer the matter to DM, Sonbhadra to get it examined by a committee of Mining Officer Sonbhadra, a representative of DM, Sonbhadra, not below the rank of ADM, and a soil scientist belonging to a reputed agriculture university of State or the Center. The Committee shall examine the area based on ocular as well as soil profile examination and photographs and videos should be attached with the report. The report shall be submitted within three weeks. SEIAA should be apprised of the action taken...”

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या-2301/खनिज/2025 दिनांक 13.01.2025 द्वारा जनपद-सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-भगवां के आराजी संख्या-15च (खण्ड-2) रकबा-12.146 हे0 क्षेत्र को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में जाँच हेतु (1)- रजिस्टार, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा नामित, मृदा वैज्ञानिक (soil scientist), (2)- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सोनभद्र, (3)- ज्येष्ठ खान अधिकारी, सोनभद्र की संयुक्त समिति का गठन किया गया, तत्क्रम में कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी के पत्र संख्या-कु.का./2024-25/398 दिनांक 27.01.2025 द्वारा प्रो0 जनार्दन यादव, मृदा एवं कृषि रसायन विभाग को जाँच हेतु नामित किया गया है। गठित समिति द्वारा दिनांक 03.02.2025 को क्षेत्र की संयुक्त जाँच की गयी।

प्रो0 जनार्दन यादव, मृदा एवं कृषि रसायन विभाग के पत्र सं0- Agrichem./2024-25/L/ दिनांक 05.02.2025 द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लिखित है कि “जनपद के तहसील-ओबरा में स्थित ग्राम-भगवां के आराजी सं0- 15च (खण्ड-2) रकबा-12.146 हे0 में बालू/मोरम का सर्वेक्षण दिनांक 03.02.2025 को किया गया। पूरे रकबे में लगभग 3 से 4 मीटर गहराई के 5 गढ़डे खोदवा कर बालू/मोरम का सेम्पल किया गया तथा इन सेम्पल का परीक्षण मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग में हाइड्रोमीटर विधि (हिन्गा

(2)

एट0आल0 1980) से बालू, सिल्ट और क्ले की प्रतिशत मात्रा ज्ञात किया गया। पांचो सैम्पल में बालू/मोरम 95.70 से 95.74 प्रतिशत पाया गया तथा औसत रूप से बालू/मोरम 95.72 प्रतिशत तथा सिल्ट+क्ले 4.28 प्रतिशत था। इस डाटा से यह साबित होता है कि उक्त रकबा कृषि के लिये अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें बालू की मात्रा बहुत अधिक है।”

समिति द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 11.02.2025, जिसमें उल्लिखित है कि “उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नदी के नाम दर्ज, राज्य सरकार की भूमि है, जो कि सोन नदी के डाउन स्ट्रीम के दायीं ओर स्थित है, जिस पर वर्षाकाल में नदी द्वारा पहाड़ी क्षरण के फलस्वरूप बहाकर लायीं गयी मोरम निक्षेपित है।”

अतः समिति की जाँच आख्या व प्रो0 जनार्दन यादव, मृदा एवं कृषि रसायन विभाग के उक्त पत्र दिनांक 05.02.2025 मूल रूप में इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय



(बद्री नाथ सिंह)  
जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र दिनांक 16.01.2025 के क्रम में सादर प्रेषित।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 28.01.2025 के क्रम में सादर प्रेषित।



जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।

## संयुक्त जाँच आख्या

### जिलाधिकारी महोदय

कृपया अवगत कराना है कि सदस्य सचिव, एस0ई0आई0ए0ए0, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र संख्या-864/पर्या0/सामान्य/2023 दिनांक 27.12.2024 के साथ संलग्न SEIAA के मीटिंग सं0- 864 दिनांक 17.12.2024 के बिन्दु सं0-3. District Survey Report, Sonbhadra (Sand/Morrum Mining) के उप बिन्दु-6 में उल्लिखित है कि:-

".....SEIAA noticed that the reports dated 15.03.2024, 05.07.2024 and 27.09.2024 do not address the question of mineral availability at the site. Hence SEIAA agreed to refer the matter to DM, Sonbhadra to get it examined by a committee of Mining Officer Sonbhadra, a representative of DM, Sonbhadra, not below the rank of ADM, and a soil scientist belonging to a reputed agriculture university of State or the Center. The Committee shall examine the area based on ocular as well as soil profile examination and photographs and videos should be attached with the report. The report shall be submitted within three weeks. SEIAA should be apprised of the action taken..."

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या-2301/खनिज/2025 दिनांक 13.01.2025 द्वारा जनपद-सोनभद्र के तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-भगवां के आराजी संख्या-15च (खण्ड-2) रकबा-12.146 हे0 क्षेत्र को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में जाँच हेतु समिति का गठन करते हुए रजिस्टार, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को मृदा वैज्ञानिक(soil scientist) नामित करने का अनुरोध किया गया :-

1. रजिस्टार, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा नामित, मृदा वैज्ञानिक (soil scientist)
2. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), सोनभद्र।
3. ज्येष्ठ खान अधिकारी, सोनभद्र।

तत्क्रम में कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी के पत्र संख्या-कु.का./2024-25/398 दिनांक 27.01.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रो0 सतीश कुमार सिंह ने "Conflict of interest" का सन्दर्भ देते हुए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की गयी है, जिसके उपरान्त निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान द्वारा प्रो0 जनार्दन यादव, मृदा एवं कृषि रसायन विभाग को नामित किया गया है। कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी के पत्र दिनांक 27.01.2025 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-2440/खनिज/2025 दिनांक 01.02.2025 द्वारा उपरोक्त क्षेत्र की जाँच हेतु दिनांक 03.02.2025 की तिथि नियत की गयी। नियत तिथि दिनांक 03.02.2025 को (1)- प्रो0 जनार्दन यादव, मृदा एवं कृषि रसायन विभाग, (2)- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सोनभद्र, (3)- ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र व (4) सर्वेक्षक खनिज विभाग सोनभद्र द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र की जाँच की गयी। जाँचोपरान्त प्रो0 जनार्दन यादव, मृदा एवं कृषि रसायन विभाग द्वारा अपने पत्र सं0-Agrichem./2024-25/L/ दिनांक 05.02.2025 (प्रति संलग्न) द्वारा उपरोक्त क्षेत्र जनपद-सोनभद्र

*G. S. S.*


*S. S.*


की तहसील-ओबरा स्थित ग्राम-भगवां के आराजी संख्या-15च (खण्ड-2) रकबा-12.146 हे० हेतु लिये गये सेम्पल का वैज्ञानिक परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उल्लिखित है कि "जनपद के तहसील-ओबरा में स्थित ग्राम-भगवां के आराजी सं०- 15च (खण्ड-2) रकबा-12.146 हे० में बालू/मोरम का सर्वेक्षण दिनांक 03.02.2025 को किया गया। पूरे रकबे में लगभग 3 से 4 मीटर गहराई के 5 गढ़बे खोदवा कर बालू/मोरम का सेम्पल किया गया तथा इन सेम्पल का परीक्षण मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग में हाइड्रोमीटर विधि (हिन्ना एट०आल० 1980) से बालू सिल्ट और क्ले की प्रतिशत मात्रा ज्ञात किया गया। पांचो सेम्पल में बालू/मोरम 95.70 से 95.74 प्रतिशत पाया गया तथा औसत रूप से बालू/मोरम 95.72 प्रतिशत तथा सिल्ट+क्ले 4.28 प्रतिशत था। इस डाटा से यह साबित होता है कि उक्त रकबा कृषि के लिये अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें बालू की मात्रा बहुत अधिक है।"


उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नदी के नाम दर्ज, राज्य सरकार की भूमि है, जो कि सोन नदी के डाउन स्ट्रीम के दायीं ओर स्थित है, जिस पर वर्षाकाल में नदी द्वारा पहाड़ी क्षरण के फलस्वरूप बहाकर लायीं गयी मोरम निक्षेपित है।

अतः SEIAA के पत्र दिनांक 27.12.2024 के क्रम में संयुक्त जॉच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक :- यथोक्त।

  
11/02/2025  
(योगेश शुक्ला)  
सर्वेक्षक, खनिज विभाग,  
सोनभद्र।

  
(शैलेन्द्र सिंह)  
ज्येष्ठ खान अधिकारी,  
सोनभद्र।

  
(सहदेव मिश्र)  
अपड-जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
सोनभद्र।

काशी हिन्दू  
विश्वविद्यालय



BANARAS HINDU  
UNIVERSITY

AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE ESTABLISHED BY AN ACT OF PARLIAMENT

Institute of Agricultural Sciences  
Department of Soil Science &  
Agricultural Chemistry  
कृषि विज्ञान संस्थान,  
मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग

Prof. Janardan Yadav  
Head

Ref: Agrichem./2024-25/L/

Dated: 5.2.2025

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी  
शार्वरसगंज (लोदी) सोनभद्र  
उत्तर प्रदेश, पिन: 231216

संदर्भ : अपर जिलाधिकारी का पत्रांक 2440/खनिज/2025  
दिनांक 01/02/2025 तथा जिलाधिकारी महोदय,  
सोनभद्र का आदेश संख्या 2301/खनिज/2025 दि. 13.1.25  
विषय : ग्राम भगवा के अराजी सं. 15-च (खण्ड-2) रकबा 12.146 हे.  
के बालू/मोरम का सर्वेक्षण।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुए आप द्वारा गठित "जांच  
समिति" के सदस्यों क्रमशः अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), जम्हठ खान  
आधिकारी, सोनभद्र तथा डा० जनार्दन मादव जोसेसर एवं विभागाध्यक्ष,  
मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी  
द्वारा जनपद के तहसील ओकरा में स्थित ग्राम भगवा के अराजी संख्या  
15-च (खण्ड-2) रकबा 12.146 हे. में बालू/मोरम का सर्वेक्षण दिनांक 3.2.25  
को किया गया। पूरे रकबों में लगभग 3 से 4 मीटर गहराई के 5 गड्डे खोखा  
कर बालू/मोरम का सैम्पल लिया गया तथा इन सैम्पल्स का परीक्षण  
मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग में हाइड्रोमीटर विधि (हिगा स्ट. आर. 1986)  
से बालू, सिल्ट और क्ले की प्रतिशत मात्रा ज्ञात किया गया। पान्चौ सैम्पल में  
बालू/मोरम 95.70 से 95.74% पाया गया तथा औसत रूप से बालू/मोरम  
95.72% तथा सिल्ट + क्ले 4.28% था। इस डेटा से यह साबित होता है कि  
उक्त रकबा कृषि के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि इसमें बालू का मात्रा  
बहुत अधिक है।



**BHU**

equal of knowledge

जनार्दन यादव  
HEAD

मृदा विज्ञान एवं कृषि  
Dept. of Soil. Sc. & Agrichemistry

कृषि विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय  
Varanasi, 221005, UP, INDIA

BANARAS HINDU  
UNIVERSITY

Varanasi, 221005, UP, INDIA

T: 91-542-6701370

F: 91-542-6701381

E: hodssac@gmail.com

नोट : विस्तृत रिपोर्ट संलग्न है।

काशी हिन्दू  
विश्वविद्यालय



BANARAS HINDU  
UNIVERSITY

AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE ESTABLISHED BY AN ACT OF PARLIAMENT

Institute of Agricultural Sciences  
Department of Soil Science &  
Agricultural Chemistry  
कृषि विज्ञान संस्थान,  
मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग

Prof. Janardan Yadav  
Head

विस्तृत रिपोर्ट

Ref: Agrichem./2024-25/1/

Dated: 5.2.2025

तहसील ओबरा, सोन मण्ड के ग्राम भगवां के अराज्रीसंघा 15-च(खण्ड-2) रकबा 12.14 हे. मृदा सैम्पल नं० कले, सिल्ट तथा बालू की प्रतिशत मात्रा

मृदा सैम्पल नम्बर	कले (%) (a)	सिल्ट (%) b	बालू (%) (100-(a+b))
1-	4.05	0.22%	95.72
2-	4.04	0.22	95.74
3-	4.07	0.21	95.72
4-	4.08	0.22	95.70
5-	4.05	0.22	95.71
औसत	4.05	0.22	95.72

विस्तृत रिपोर्ट की आध्या आग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Janardan Yadav

विभागाध्यक्ष  
HEAD

मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग  
Dept. of Soil. Sc. & Agril. Chemistry  
कृषि विज्ञान संस्थान, काशी  
BANARAS HINDU  
UNIVERSITY  
Varanasi, 221005, UP, INDIA

T: 91-542-6701370

F: 91-542-6701381

E: hodssac@gmail.com



533

(Silt + Clay)

$R_1 = 1.000$

$T_1 = 22.6^\circ\text{C}$   
(72.68°F)

$C.F._1 = (72.68 - 67) \times 0.2$   
 $= 1.136$

$C.F. \text{ reading} = (1 + 1.136)$   
 $= 2.136$

$\% \text{ Clay} = \frac{2.025}{50} \times 100 = 4.05\%$

$\text{Silt} \% = \left( \frac{2.136 - 2.025}{50} \right) \times 100$   
 $= 0.22\%$

$\text{Sand} \% = (100 - 4.272)$   
 $= 95.72\%$

Clay

$R_2 = 0.997$

$T_2 = 22.3^\circ\text{C}$   
(72.14°F)

$C.F._2 = (72.14 - 67) \times 0.2$   
 $= 1.028$

$= (0.997 + 1.028)$   
 $= 2.025$

Where  
 $S_{og} = \text{wt. of soil taken}$ .

(Silt + Clay)

Clay

②  $R_1 = 1.002$

$R_2 = 0.998$

$T_1 = 22.6^\circ\text{C}$

$T_2 = 22.3$

$C.F. = 2.138$


$CF = 2.026$

$\text{Clay} \% = \frac{2.026}{50} \times 100 = 4.04\%$

≈ 4% clay.

$\text{Silt} = \left( \frac{2.138 - 2.026}{50} \right) \times 100 = 0.22\%$

$\text{Sand} \% = 100 - (4.04 + 0.22)$   
 $= 95.74\%$

विभागाध्यक्ष 5/2/25  
HEADमुख्य विज्ञान एवं कृषि विभाग  
Department of Soil. Sc. & Agril. Chemistry  
राज्य विज्ञान संस्थान, काशी-221005

534

Clay.

$$R_1 = 1.008$$

$$T_1 = 22.6 / 72.68^\circ\text{F}$$

$$\text{CFT}_1 = (72.68 - 67) \times 0.2 \\ = 1.136.$$

$$\text{CF}_1 = 1.136 + 1.008 \\ = 2.144$$

$$R_2 = 0.998.$$

$$T_2 = 22.3^\circ\text{C} / 72.14^\circ\text{F}.$$


$$\text{CFT}_2 = (72.14 - 67) \times 0.2 \\ = 1.028.$$

$$\text{CF}_2 = 1.028 + 0.998 \\ = 2.026.$$

$$* \text{Clay } \% = \frac{2.026}{50} \times 100 = 4.05\%.$$

$$* \text{Silica } \% = \left( \frac{2.144 - 2.026}{50} \right) \times 100 = 0.236\%.$$

$$* \text{Sand } \% = (100 - 4.28) \\ = 95.71\%.$$

  
5/2/25

विभागाध्यक्ष  
HEAD

मुख्य विद्यालय एवं कृषि रसायन विभाग  
Dept. of Soil. Sc. & Agril. Chemistry  
कृषि विद्यालय संस्थान, राणोली, दिल्ली

535

③

$$R_1 = 1.015$$

$$T_1 = 22.6^\circ\text{C} / 72.68^\circ\text{F}$$

$$CF_{T_1} = 72.68^\circ\text{F}$$

$$(72.68 - 67) \times 0.2$$

$$= 1.136$$

$$CF_1 = 1.136 + 1.015$$

$$= 2.141$$

$$R_2 = 1.008$$

$$T_2 = 22.3^\circ\text{C} / 74.14^\circ\text{F}$$

$$CF_{T_2} = (74.14 - 67) \times 0.2$$

$$= 1.028$$

$$CF_2 = 1.028 + 1.008$$

$$= 2.036$$

$$\text{Clay \%} = \frac{2.036}{50} \times 100 = 4.07\%$$

$$\text{Silt \%} = \frac{(2.141 - 2.036)}{50} \times 100 = 0.21\%$$

$$\text{Sand \%} = (100 - 4.28)$$

$$= \underline{95.72\%}$$

④

$$R_1 = 1.020$$

$$T_1 = 22.6^\circ\text{C}$$

$$CF = 1.020 + 1.136$$

$$= 2.156$$

$$R_2 = 1.015$$

$$T_2 = 22.3^\circ\text{C} / 74.14$$

$$CF_2 = 1.015 + 1.028$$

$$= 2.043$$

$$\text{Clay \%} = \frac{2.043}{50} \times 100 = 4.08\%$$

$$\text{Silt \%} = 0.22\%$$


$$\text{Sand \%} = (100 - 4.30)$$





$$= \underline{95.7\%}$$





*G. S. Kulkarni*  
512125




विभागाध्यक्ष  
HEAD



भूतल विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग  
Dept. of Soil. Sc. & Agril. Chemistry  
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्थान, काशी, उत्तर प्रदेश













542

35








545

38





547

40






















556  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



49

संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: 60258/OA No-109/2024

दिनांक:-

Date: 15/03/2024

To,

The Registrar,  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Copernicus Marg,  
New Delhi.  
E-mail:judicial-ngt@gov.in

**Sub:-** Submission of Joint Committee report in pursuant to order dated 29.01.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 109/2024, Akash Dubey Versus Union of India & Ors.


Respected Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 29.01.2024 in the matter of O.A. No. 109/2024, Akash Dubey Versus Union of India & Ors., the Joint Committee report is being filed herewith. This Joint Committee report has been forwarded to Headquarter, Lucknow by R.O., UPPCB, Sonbhadra vide letter dated 05.03.2024.

It is requested that the aforesaid information may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

  
(U.K. Gupta)  
Regional Officer  
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.

Copy to:-

1. District Magistrate, Sonbhadra for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer  
Sonbhadra.



557 कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



50

संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G 0233/PH-1501/SBD/2023/2024

दिनांक:-

Date: 05.03.2024

To,

Chief Environmental Officer (Circle-2),  
U.P. Pollution Control Board,  
Lucknow,

**Sub:- Submission of factual report in the matter of "Morrum Mining" on the river bed of Sone River at Arazi No. 15 Cha, Khand No. 02, Village-Bhagwa, Tehsil-Obra, District Sonbhadra.**

Sir,

Kindly refer to above noted subject, the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) has decided to get the actual position of the lease area through a site visit and recommended to constitute a joint committee of Prof. Jaswant Singh, Member SEAC, RO, UPPCB, Sonbhadra & Mining Officer, Sonbhadra to inspect the mining site and provide factual report to SEAC to take necessary action in this matter. For complying, The Sub Director/Nodal SEIAA directed for same vide reference no- 666/Parya./8280-7891/2023 Dated-22.11.2023. In compliance of above direction, the joint committee conducted the field visit. The Joint Committee report with photographs is being filed herewith as annexure-1.

It's opinion may be consider in this matter that Geological survey should be done to find out the sand in the inner layer of soil of concern lease area.

**Encl.: As above.**

Yours faithfully,

  
05/03/2024

(U.K. Gupta)

Regional Officer  
Sonbhadra.

**Endt. No. & date as above.**

**Copy to:-** Member Secretary Sir, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.

  
05/03/2024

Regional Officer  
Sonbhadra.

"Morrum Mining" on the riverbed of Sone River at Arazi No.- 15 च , Khand No. 02, Village- Bhagwa, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, Uttar Pradesh, Area 12.146 ha. ,8280/ 7891 /SIA /UP/MIN/445239/ 2023.

The project site was inspected on 15-12-2023 by the joint committee in compliance of the decision taken by SEAC/SEIAA. The following members of the committee were present at the time of inspection: -

1. Prof. Jaswant Singh, Member SEAC-2
2. Sh. Umesh Gupta, Regional Officer, Sonbhadra, UPPCB
3. Sh. R B Singh, Mining Officer, Sonbhadra.

At the time of on-site inspection, Mr. Dheeraj Singh (Mb. 9198140009) and others were also present as representative of project proponent. The following decision was taken by SEAC in its 798th meeting dated 13/10/2023 for the project.

*A complaint dated 11/10/2023 of Akash Dubey, (Environmental Activist) S/o Shri Mahendra Kumar, Ara Kalan, Arahkala, Allahabad, U.P.-221508 received against the forgery committed by Rudra Mining Company in obtaining the environmental clearance for extraction at "Morrum Mining" on the riverbed of Sone River at Arazi No.- 15 च , Khand No. 02, Village- Bhagwa, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, Uttar Pradesh. Complaint stated that area in question i.e. Arazi No.- 15 च , Khand No. 02, Village- Bhagwa, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, Uttar Pradesh is a plain land where in there is no deposition of morrum. In this regard complainant has also enclosed photograph of lease area.*

*The committee observed that in the video of drone survey presented by the project proponent/consultant that soil/plain land with flora & fauna is visible. The committee opined that in this situation it would be appropriate to get actual position of the lease area through a site visit. Hence, the committee recommended to constitute a joint committee of Prof. Jaswant Singh, Member SEAC, RO, UPPCB, Sonbhadra & Mining Officer, Sonbhadra to inspect the mining site and provide factual report to SEAC to take necessary action in the matter.*

Further the following decision was taken by SEIAA in its 774th meeting dated 07-11-2023:-

*SEIAA noted that according to KML mining is being carried out. SEIAA agreed with the recommendation of SEAC to constitute a joint committee of Prof. Jaswant Singh Member SEAC, RO UPPCB Sonbhadra and Mining Officer Sonbhadra to inspect the mining site and provide factual report to SEAC to take necessary action in the matter. The Joint committee must submit the report within 15 days.*

In compliance of above the Site visit was conducted by joint committee on 15/12/2023. The observation of the committee as per the site visit is as under: -

1. At the time of site visit it was observed that the mining lease is plain/soil land with flora in which, agriculture was being done by local farmers. (Photographs of the farming attached).
2. The lease is located in the outer reach of the rear end of river bank, due to which there is very low possibility of the occurrence of mineral deposit during floods in future and makes it unsustainable from mining point of view.
3. There are water bodies in the lease area at the time of inspection, hence no mineral can be excavated from the water bodies/submerged area. No mineable mineral (morum) was observed in the lease area at the time of physical inspection.

Enclosure: - Photographs with coordinates.

(RB Singh)  
Mining Officer, Sonbhadra

  
(Umesh Gupta)  
Regional Officer, UPPCB Sonbhadra

  
(Prof. Jaswant Singh)  
Member, SEAC

Photographs of all pillar's and lease area M/s Morrum Mining" on the river bed of Sone River at Arazi No. 15 Cha, Khand No. 02, Village-Bhagwa, Tehsil-Obra, District Sonbhadra.



PILLAR-A



PILLAR-B



PILLAR-C

Photographs of all pillar's and lease area M/s Morrur Mining" on the river bed of Sone River at Arazi No. 15 Cha, Khand No. 02, Village-Bhagwa, Tehsil-Obra, District Sonbhadra.

